प्रावधायी निधि विभाग योजना

प्रश्न 1 प्रावधायी निधि क्या है ?

उत्तर **प्रावधायी निधि से तात्पर्य एक ऐसी निधि से है जिसमे विभिन्न अभिदाताओं द्वारा उनके व्यक्तिगत खातो के माध्यम से अंशदान राशि जमा कराई जाती है। इसमे जमाओ पर ब्याज एवं नियमों के अन्तर्गत अभिवृद्धि भी शामिल है।**

प्रश्न 2 सामान्य प्रावधायी निधि योजना क्या है ?

उत्तर **कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित अनिवार्य बचत योजना है, जो सेवा निवृति पर उन्हे आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा मृत्यु की अवस्था में उनके आश्रितों को आर्थिक सम्बल प्रदान करती है। इस योजना में सेवा निवृति/मृत्यु पर अभिदाता / मनोनीत को मय ब्याज समस्त राशि का भुगतान कर दिया जाता है।**

प्रश्न 3 योजना किन नियमें के अन्तर्गत लागू है ?

उत्तर **योजना राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम ,1997 के अन्तर्गत लागू है। पूर्व मे यह योजना सामान्य प्रावधायी निधि (राज. सेवाए) नियम,1954 के अन्तर्गत लागू थी।**

प्रश्न 4 योजना कब से एवं किन पर अनिवार्य / ऐच्छिक रूप से लागू है ?

उत्तर **योजना निम्न प्रकार से *लागू हुई* :**

(1) दिनांक 1.4.1954 से समस्त राज्य कर्मचारियों पर ऐच्छिक रूप से एवं राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य घोषित कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से *लागू हुई।*

(2) दिनांक 1.5.1980 से समस्त राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से *लागू हुई।*

प्रश्न 5 प्रावधायी निधि योजना क्या दिनांक 1.1.2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं है ?

उत्तर **प्रावधायी निधि योजना दिनांक 1.4.2004 एवम् इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं है। इन कर्मचारियों पर नवीन पेन्शन योजना (एन पी एस) लागू है। ऐसे कर्मचारियों की प्रावधायी निधि की कटौती नहीं की जाती है।**

(राज्यादेश क्रमांकः प–2(1) वित्त(नियम) 96/पार्ट–11 दिनांकः 23.8.2006)

प्रश्न 6 क्या निर्धारित खण्ड दर से अधिक कटौती करवाई जा सकती है ?

उत्तर **यदि अंशदाता चाहे तो अनिवार्य प्रावधायी निधि की निर्धारित खण्ड दर से अधिक कटौती करवा सकता है, परन्तु यह कटौती वित्तीय वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती । (नियम 11 टिप्पणी " ब")**

प्रश्न 7 क्या इस योजना में जमा करवाई जाने वाली राशि पर आयकर छूट का प्रावधान है ?

उत्तर **हॉ, प्रावधायी निधि खाते में प्रति वर्ष जमा करवाई जाने वाली राशि पर धारा 88, आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत छूट का प्रावधान है।**

प्रश्न 8 योजना के अन्तर्गत भुगतान किन–2 परिस्थितियों में देय है ?

उत्तर **योजना में जमा राशि कर्मचारी को सेवा निवृति/सेवा त्यागने पर/अनिवार्य सेवा निवृति/सेवा से निष्कासन पर देय है। किन्तु अंशदाता सेवा निवृति के पश्चात् अपने खाते में सेवा निवृति परिलाभ जमा करवाते हुए भी प्रचलित ब्याज दर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज दर पर ,खाते को किसी भी अवधि तक चालू रख सकता है।**

(नोटिफिकेशन दिनांकः 30–3–1999)